फा.सं.2-2/2023-24/हिं.प्र./

हिंदी प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय शैक्षिक अन्संधान और प्रशिक्षण परिषद

दिनांक: 12.04.2022

विषय : राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम का प्रेषण ।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-2024 में हिंदी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार के सभी कार्यालयों में इसका अनुपालन अपेक्षित है। इसमें निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी कार्यालय इस कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करेंगे। संबंधित दस्तावेज आवश्यक कार्रवाई हेतु ई-मेल द्वारा परिचालित किया जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राजभाषा की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in का उपयोग किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय के सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यह निर्देश दें कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2023-2024 के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023-24

(नीलकंठ कुमार) प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ

प्रति :

- 1. परिषद के सभी विभागों/प्रभागों/एककों/प्रकोष्ठों आदि के अध्यक्ष
- 2. संयुक्त निदेशक, पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
- 3. प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग
- 4. सभी उप सचिव एवं अवर सचिव
- 5. परिषद के सभी अनुभाग अधिकारी
- 6. निदेशक के निजी सचिव
- 7. संयुक्त निदेशक, सीआईईटी के निजी सचिव
- 8. सचिव के निजी सचिव

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

	क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	<u>"ख" क्षेत्र</u>	"ग" क्षेत्र
	1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
	2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
2	3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
	4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
	5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
	6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
	7. *	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
	8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
		जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
	0.00	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

Annual Programme for 2023-24 for use of Hindi

<u>s.no</u>	DETAILS OF WORK	'A' REGION	<u>.</u>	B' REGION	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	2. From A to B	00% 1. From B 00% 2. From B 55% 3. From B		1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55%
¥2		4. From Region A 10 to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region			4. From Region C to 55% Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region
	rs received in Hindi to ed in Hindi	be	100%	100%	100%
3.Notin	ng in Hindi		75%	50%	30%
4. Trai	ning Programme thro	ugh Hindi Medium	70%	60%	30%
	uitment of employees yping & Stenographer		80%	70%	40% .
	tion in Hindi/ Direct T ard (self and by the As		65%	55%	30%
7. Hind	di Training (Language,	Typing/ Stenograph	y) 100%	100%	100%
8. Pre	paration of Bilingual T	raining Material	100%	100%	6 100%
Hindi be i.e., Hind amount and Reg	enditure for the purch boks etc., including di di e-books, CD/DVD, F incurred on Translatio ional Languages out o g journals and stand	gital material Pen Drive including on in Hindi fron f the total Library gra	50% ant	50%	6 50%
including	chase of all electronic g computers having bi vorking facility.	equipment lingual i.e. Hindi and	100%	100	% 100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100% 100%	
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100% 100%	
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थि	त		
	कार्यालयों का निरीक्षण			
	(कार्यालयों का प्रतिशत)			
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

11. Website bilingual 100% 100% 100% 12. Citizen Charter and display of Public 100% 100% 100% interface information Board bilingual 13. (i) Inspection by Ministries/ 25% (minimum) 25% (minimum) 25% (minimum) Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of Offices) {II} Inspections of sections at 25% (minimum) 25% (minimum) 25% (minimum) Headquarters. (III) Joint inspections by the officers At least one inspection in a year. concerned& those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government. Meetings regarding Official Language (A) Hindi SalahakarSamiti 02 meetings in a year (B) Town Official Language 02 meetings in a year (One meeting in every six months) Implementation Committee. (C) Official Language 04 meetings in a year (One meeting in every quarter) Implementation Committee. 15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature. 100% 100% 100% Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/

(Minimum Sections)

30%

20%

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/Corporations where there is no concept of sections.

40%

Undertakings where entire work to be done in Hindi.

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ)

50%

(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण

50%

(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए)

प्रत्येक वर्ष में एक बैठक

(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक

(ड.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता

100%

(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक (छ) दुभाषियों की व्यवस्था

प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक

प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए।

PROGRAMME FOR FOREIGN BASED INDIAN OFFICES

(A)	Correspondence in Hindi (Including offices of Central Government located in India/abroad)	50%
(B)	File noting in Hindi	50%
(C)	Number of TOLIC meetings in a year (A TOLIC is to be constituted if 7 or more offices of Central Govt. are located in a town)	One meeting in a year.
(D)	(Number of DOLIC (Departmental Official Language Implementation Committee) meetings in a year.	One meeting in each quarter.
	A DOLIC is to be constituted under the chairmanship of Head of Office.)	
(E)	Availability of electronic equipment including computers with bilingual working facility	100%
(F)	Employees /Stenographers doing their typing work in Hindi	Minimum one in each office
(G)	Arrangement of Interpreters	Arrangements of interpreters be made from local language to Hindi & vice-versa in every Mission/Embassy.